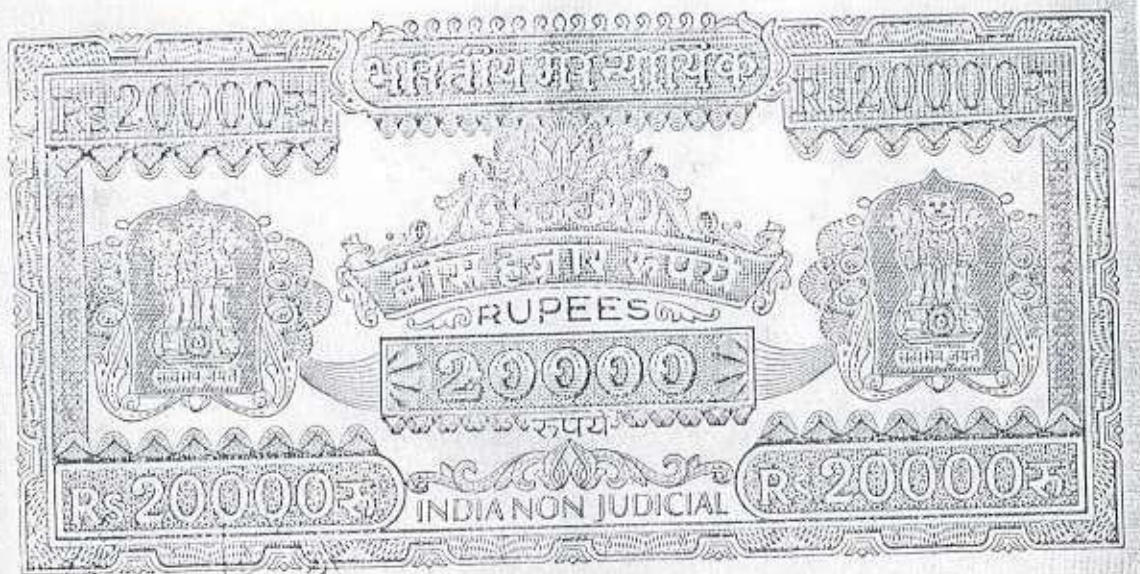




03CC 319265

A One Home

315

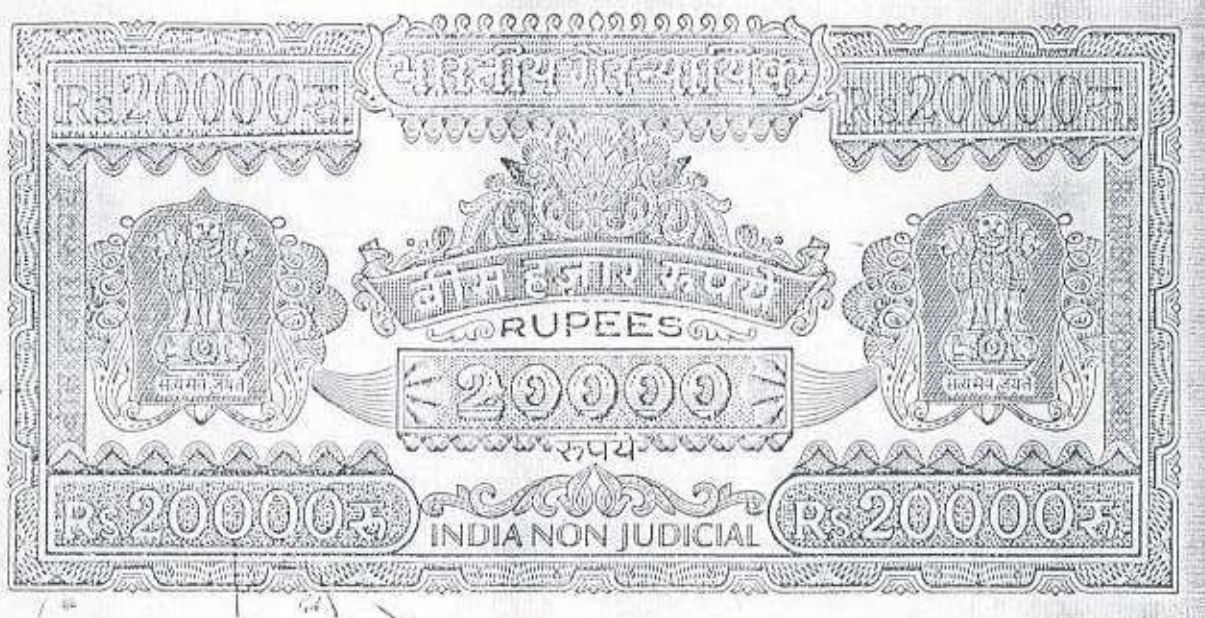
BUY DEED # 1A

बयनामा

|         |                 |
|---------|-----------------|
| बयनामा  | 8,40,000 / -रु० |
| मालियत  | 8,40,000 / -रु० |
| स्टाम्प | 84,000 / -रु०   |

हम कि गेटवे होम्स प्रा० लिमिटेड 213-सुखदेव विहार नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर मौहम्मद अजमल पुत्र श्री मौहम्मद अरशद प्रथम पक्ष (विक्रेता) एवं एवन होम्स प्रा० लि० X-51 ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया फेज II नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर मौहम्मद अकबर पुत्र श्री मौहम्मद अरशद द्वितीय पक्ष (क्रेता), के हैं।



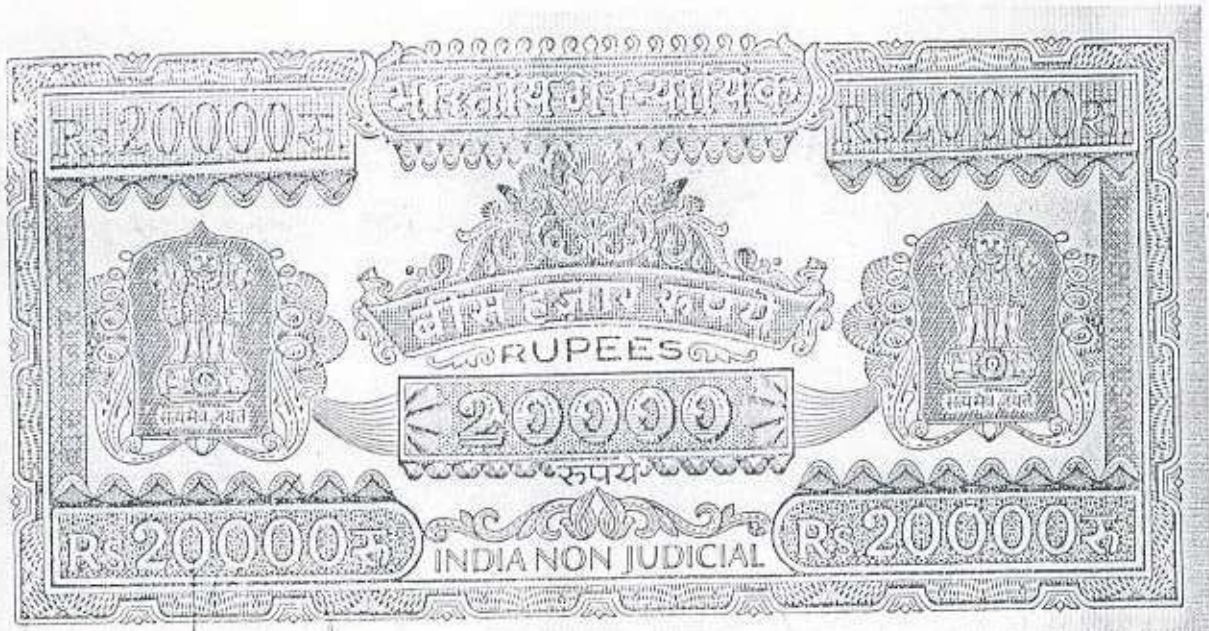


03CC 319266

2

जो कि आराजी काश्त भूमिधरी खाता सं० 133 खसरा सं० 315  
मि० रकबई 0.401 हेक्टे० लगानी सालाना 9.90 रू० व खाता सं० 315  
खसरा सं० 317 मि० रकबई 0.292 हेक्टे० व खसरा सं० 479 मि०  
रकबई 0.134 हेक्टे० कुल दो किते रकबई 0.426 हेक्टे० लगानी  
सालाना 10.50 रू० व खाता सं० 289 खसरा सं० 467 मि० रकबई  
0.065 हेक्टे० लगानी सालाना 1.60 रू० किस्म जमीन खादर सर्किल  
नं० 4 बाकै ग्राम हरथला एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद जिस  
पर विक्रेता बहैसियत भूमिधरी मालिक काबिज व दखील है तथा प्रथम  
पक्ष (विक्रेता) को आराजी मजकूर की बावत हर अख्तयारात मय





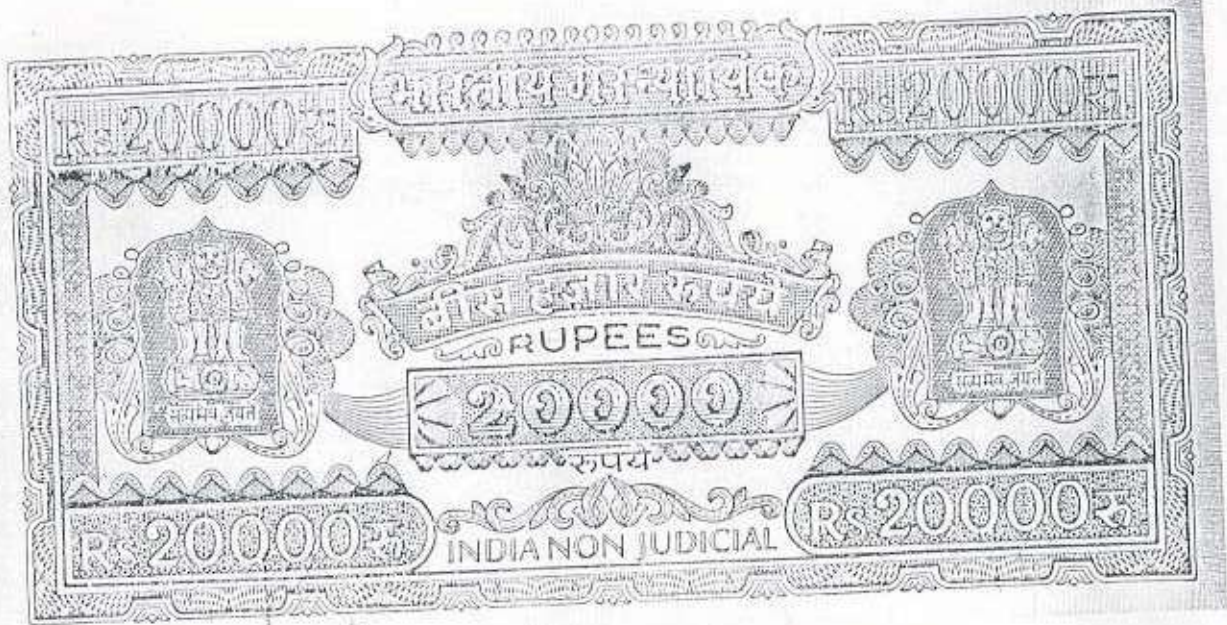
03CC 319267

3

इन्तकालात हासिल है। जो इस समय तक प्रत्येक प्रकार से पूर्णरूपेण स्वच्छ व विवाद रहित है। इस सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज सरकारी या गैर सरकारी आदि नहीं है। यह भूमि प्रत्येक प्रकार के रहन, बय, हिबा किफालत, जमानत कुर्की नीलामी आदि से पूर्णतया मुक्त है। आराजी बक्फ या कस्टोडियन की सम्पत्ति नहीं है तथा इस सम्पत्ति को विक्रय करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष (विक्रेता) को प्राप्त है। इस सम्पत्ति को हस्तांतरित करने में प्रथम पक्ष (विक्रेता) पूर्णतया सक्षम है कोई अग्रमाने इन्तकाल हाजा नहीं है इसकी पूर्ण संतुष्टि द्वितीय पक्ष (क्रेता) को करा दी गयी है। चूंकि इस

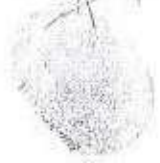
*[Handwritten signature]*  


*[Handwritten signature]*  

03CC 319268

सम्पत्ति की कीमत भी मुनासिब मिल रही है लिहाजा प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने बहालत दुरुस्ती होश हवास खमसा बिना बहकाये व सिखाये बिना दबाव नजायज किसी के खूब सोच समझकर तमानी शय मुबईया मजकूर हर किरम व मय हक रास्ता आमदोरपत व मय दीगर कुल हक व हकूक मुताल्लिका उसको बिना छोड़े किसी जुज व हक विल ऐवज मुबलिग 8,40,000/-रुपये आठ लाख चालीस हजार रू० आधे जिसके 4,20,000/-रुपये चार लाख बीस हजार रुपये

*Signature*  


*Signature*  






4 APR 2005

10371

होते है द्वितीय पक्ष क्रेता ( एवन होम्स प्रा० लि० X-51 ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया फेज II नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर मौहम्मद अकबर पुत्र श्री मौहम्मद अरशद ) को बय और फरोख्त कामिल करके कुल जरे समन उसका तफसील जैल द्वितीय पक्ष (क्रेता) से वसूल पाकर तमानी शय मुबइया मजकूर वाला का कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष (क्रेता) को दे दिया है आज के बाद से आराजी मजकूर की बाबत प्रथम पक्ष (विक्रेता) व वारिसान प्रथम पक्ष (विक्रेता) का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं बाकी नहीं रहा है और न ही आइन्दा होगा द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूरा हक हासिल होगा कि वह कागज कानूनी में प्रथम पक्ष





6

2005

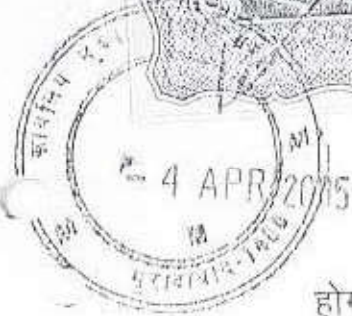
10372

(विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले अगर बाद को किसी वक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) या कर्जखाह या औलाद या अन्य किसी दीगर शख्स की देनदारी या कानूनी नुक्स से शय मुबईया का जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष (क्रेता) या वारिसान द्वितीय पक्ष (क्रेता) से निकल जावे या बगरज तहफफुज शय मुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) का कुल सर्फा मजीद खर्चा या अदा करना पड़े तो उसी कदर कुल जरे समन की वापसी प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म अपनी से कुल हर्जे व खर्चे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष (विक्रेता)





100000

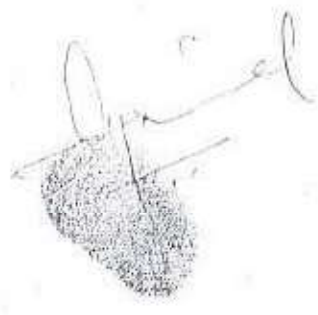


7

A-2005

10373

होगा। वनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियां व जिम्मेदारियां प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होंगी अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले प्रथम पक्ष (विक्रेता) को कोई उज्र व एतराज नही होगा पक्षकारान के फोटो गवाहान की पहचान पर श्री सुभाष चन्द्र माथुर एडवोकेट ने सत्यापित किये हैं।



*Handwritten signature*







A-2005

10374

नोट:-विक्रीत आराजी का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची के परिशिष्ट 1 उपखण्ड "क" के अनुसार 1,00,000/-रु० प्रति एकड़ निर्धारित है तदनुसार स्टाम्प अदा किया गया है। विक्रेता अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है मौके पर तथा आसपास खेती हो रही है आराजी में कोई पेड़ कूप भवन आदि नहीं हैं।

*[Signature]*

*[Signature]*



तफसील वसूली जरे समन मुबलिंग 8,40,000/- रू0 नगद प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने द्वितीय पक्ष (क्रेता) से कब्ल रजिस्ट्री बयनामा हाजा प्राप्त कर लिये है।

प्रथम पक्ष (विक्रेता)

साक्षी

द्वितीय पक्ष (क्रेता)

साक्षी

बयनामा हाजा आज दिनांक 7-4-2005 को बमुकाम मुरादाबाद बइकरार पक्षकारान वमशबरा श्री सुभाष चन्द्र माथुर एडवोकेट सचिन मिश्रा ने टाईप किया।



३५२५ आराम करत शुभेच्छा व वक्तव्य ३५२५ मि० स्काई ०५०५५५ ३५२५  
 स्काई ०५०५५५ ५५२५ मि० स्काई ००५५५५ ५५२५ मि० स्काई ०५३५५५ ५५२५

ग्राम हरमल (हवमाला) तहसील वजिवा सुरादावा

स्काई ५५२५ ५५२५

मा.सु.मा. ५५२५ ५५२५

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| ३५ | ३५ | ५५ | ५५ |
|----|----|----|----|

५५२५

५५२५

सं. 1 दि. 1735 7/04/05  
क. 1735 7/04/05  
दि. 1735 7/04/05  
87 दि. 1735  
मु. 1735